I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/09/2019 19:01 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	466
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2019 **Time (समय):** 18:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/09/2019 18:10 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 100 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): YAMUNA NAGAR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): YAMUNA NAGAR CITY

District (State) (जिला (राज्य)): YAMUNA NAGAR (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** INSP. SURESH KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416322779

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जितेन्द्र यादव रजिस्ट्रार		Father's Name:	1. ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू,गांव बलावा,SADAR NARNAUL,MAHENDERGARH,HARYANA ,INDIA
2	जितेन्द्र सिह दलाल चैयरमैन		Father's Name:	1. 133 B,रामगोपाल कालोनी,रोहतक,ROHTAK CITY,ROHTAK,HARYANA,INDIA
3	श्रीमती गुरदेव कौर			1. 303,चौपडा गार्डन यमुना नगर,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
4	रितिक सिंह			1. 303,चौपडा गार्डन यमुना नगर,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
5	मयंक चौधरी		Father's Name: सतिन्द्र पाल सिह	1. ए-362,गोबिन्दपुरम,गाजियाबाद,GHAZIABAD KOTWALI,GHAZIABAD,UTTAR PRADESH,INDIA
6	मुकेश कुमार		Father's Name: प्रेम प्रकाश	1. गाव गोबिन्दगढ, LADWA,KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा मे, प्रबंधक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिंनाक 07.06.2019 की अनुपालना मे जांच क्रमांक 07 दिंनाक 10.06.2019 पंचकुला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 9625/आई0-1/रा0चौ0ब्यूरो, दिंनाक 13.06.2019 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक, व स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला द्वारा की गई थी । जांच मे मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अनुसार

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारीयो द्वारा सम्बन्धित जिलां के शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रो को छात्रवृति ना देकर उनके आधार न0 व खाता न0 बदलकर अपने जानकार लोगो के बैंक खातो मे छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोडो रूपये की राशि कां गबन किया है। आरोप की जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम की अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढने वाले अनूसुचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रूपये प्रति मास तक छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछडे वर्ग के छात्रों को 160 रूपये से 750 रूपये तक प्रति माह छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से टयूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/-रूपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 ये पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 मे यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफटवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्ते पूरी करनी होती है। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेषित कर देते है। हरियाणा राज्य से बाहर पढने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करते है। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानों से व राज्य से बाहर पढने वाले छात्रो से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृति मन्जूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिश ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिश के आधार पर नोटिंग पर केस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्पयूटर पर मैन्यूअली छात्रां की सूचि तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतू भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0ओ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते है। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0ओ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैंक में छात्रों के खातों में राशि ट्रान्सफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक में भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रान्सफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रान्सफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते है। अगर कोई खाता आधार से लिंक नही होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नही गई। जो ड्राफट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते है डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते है कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रान्सफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटिया लगाई गई है उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दौबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता मे राशि ट्रान्सफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटिया ठीक करवाते है। जांच के दौरान डाटा विश्लेषण से पाया गया कि जिला यमुनानगर के 41 छात्रो का ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय, चुरू, राजस्थान मे अलग-2 कोर्सो मे पढना दिखाकर छात्रवृति लेने के लिए आवेदन किया गया। जांच के दौरान सभी 41 छात्रो से मिलकर छात्रवृति लेने व ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान मे पढने बारे तसदीक की गई। जिन्होने बताया कि उन द्वारा उक्त विश्वविद्यालय में ना तो कभी दाखिला लिया और ना ही छात्रवृति के लिए कोई आवेदन किया गया। अनुसूचित जाति के 28 बच्चो को एक वर्ष का कम्पयूटर कोर्स फ्री मे करवाया जाना बतलाकर उनसे उनके दस्तावेज प्राप्त करके जून 2016 मे श्रीमती गुरदेव कौर व उसकी बेटी रितिक सिह व मयंक चौधरी निवासी गाजियाबाद ने इन सभी बच्चो को श्रीमती रीटा पत्नी मुनीष कुमार जो कि श्रीमती गुरदेव कौर के एन0जी0ओ0 मे नौकरी करती थी, के माध्यम से बुलाकर सभी 28 लडकियो के व रीटा के खाता खोलने के फार्म स्वय भरकर पंजाब नैशनल बैंक, यमुनानगर में सभी 28 लडकियो के फार्मो पर हस्ताक्षर करवाकर खाते खुलवा दिये और ए0टी0एम0 व पासबुक श्रीमती गुरदेव कौर व उसकी लडकी रितिक सिह व मंयक चौधरी ने अपने पास रख ली। उसके कुछ दिन बाद श्रीमती गुरदेव कौर उसकी बेटी रितिक सिह व मयंक चौधरी, रीटा देवी व आठ लडकियो को ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू राजस्थान ले गए। जहाँ पर उन सभी के एक फार्म पर हस्ताक्षर करवाए लिए गए। जो उसी दिन वहाँ से वापिस आ गए। इसी प्रकार कुमारी रजनी व शालू निवासीयान दामला, व यमुनानगर के कथनो से पाया गया कि मुकेश कुमार निवासी गांव गोबिन्दगढ थाना लाडवा ने भी गांव खेडा, थाना छप्पर, दामला व यासिन माजरा (जिला यमुनानगर) मे करीब 30/30 अनुसूचित जाति की लडकियो के लिए सिलाई सैन्टर खोलने, सिलाई सिखाने व सिलाई मशीन देने का लालच देकर उनके दस्तावेज प्राप्त करके उनको स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा देकर उनके दामला मे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, पंजाब नैशनल बैंक यमुनानगर व एक अन्य बैंक मे खाते खुलवाए और पासबुक व ए0टी0एम0 उनसे लेकर श्रीमती गुरदेव कौर व उसकी लडकी को दे दिए, और इन लडकियो का ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय, चुरू राजस्थान मे अलग-2 कोर्सो मे दाखिला दिखाकर अनुसूचित जाति एव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग से छात्रवृति लेने के लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करके छात्रवृति छात्रो के खातो मे प्राप्त करके सरकारी फण्ड का गबन किया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध मे ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय, चुरू राजस्थान को सभी 41 छात्रो की सूचि मेल द्वारा भेजकर छात्रो का रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे लिखा गया। रजिस्टार ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय, चुरू राजस्थान द्वारा मेल के माध्यम से सूचित किया कि सूचि अनुसार सभी 41 छात्रो विश्वविद्यालय में एक वर्ष तक पढे है, और लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा सभी 41 छात्रो के छात्रवृति फार्म सत्र 2015-16 मे छात्रवृति प्राप्त करने के लिए भिजवाए गए थे। जबकि जांच के दौरान सभी लडकियो ने उक्त विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स करने बारे इन्कार किया है। अतः जांच से पाया गया कि श्री जितेन्द्र यादव, रजिस्ट्रार, ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान निवासी गांव बलावा, थाना सदर नारनौल व श्री जितेन्द्र सिह दलाल, चैयरमैन, औ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान निवासी गांव चिडी, जिला रोहतक, हाल म0न0 133 बी0 रामगोपाल कालोनी, रोहतक व अन्य द्वारा श्रीमती गुरदेव कौर, उसकी बेटी रितिक सिह निवासी म0न0 303, चौपडा गार्डन जिला यमुनानगर व मयंक चौधरी पुत्र सतिन्द्र पाल सिह निवासी ए-362, गोबिन्दपुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व मुकेश कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी गाव गोबिन्दगढ, थाना लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र से मिलीभगत करके उक्त 41 लडकियों का विश्वविद्यालय मे फर्जी दाखिला दिखाकर उनके बैक खाते अलग-2 बैको मे खुलवाकर उनके खातो की पास बुक, चैक बुक व ए0टी0एम0 छात्रो से लेकर अनुसूचित जाति एव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से 24,51,760/-रूपये की छात्रवृति राशि लेकर सरकारी राशि का गबन किया जाना पाया गया है। उपरोक्त के विरूद्व जेर धारा 406, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित

किये जाने की अनुशंसा की गई थी। तफतीश के दौरान किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जायेगी, तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था। जिला पंचकुला व यमुनानगर से सम्बन्धित जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 14177/रा0चौ0ब्यूरो दिंनाक 03.09.2019 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0 (1) दिंनाक 09.09.2019 के अनुसार जांच मे दोषी पाए गए व्यक्तियो के विरूद्व उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 14614/आई0-1 दिंनाक .10.09.2019 के द्वारा प्राप्त हुए है। अतः श्री जितेन्द्र यादव, रजिस्ट्रार, ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान निवासी गांव बलावा, थाना सदर नारनौल व श्री जितेन्द्र सिह दलाल, चैयरमैन, ओ0पी0जे0एस0 विश्वविद्यालय चुरू, राजस्थान निवासी गांव चिडी, जिला रोहतक, हाल म0न0 133 बी0 रामगोपाल कालोनी, रोहतक व अन्य द्वारा श्रीमती गुरदेव कौर, उसकी बेटी रितिक सिह निवासी म0न0 303, चौपडा गार्डन जिला यमुनानगर व मयंक चौधरी पुत्र सतिन्द्र पाल सिह निवासी ए-362, गोबिन्दपुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व मुकेश कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी गाव गोबिन्दगढ, थाना लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र के विरूद्व धारा 406, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रस्तुत है। जिस पर मुकदमा दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया ईलाका मैजिस्ट्रट व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिंजवाई जाए। तथा नकल मिसल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक महेन्द्र सिह, न0 ए/20, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की जा रही है। अज – PS SVB PKL Sd Suresh Kumar निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला, 10.09.2019 at 6.00 Pm अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 03 दिनांक 10.09.2019 धारा 406, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो सैक्टर 17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट साहब यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए श्री निरीक्षक महेन्द्र सिह, न0 ए/20, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के हवाले की गई । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MAHENDER SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): insp **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kaushik

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
3	Female	1969				**Is Proxitted:** Yes
4	Female	1994				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1973				**Is Proxitted:** Yes
6	Male	1979				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)